राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी,करौली,(करौली)
जिला - करौली

राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग वर्ग का प्रमाण-पत्र

क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग /25693565085
दिनांक:29-07-2025
आवेदक / परिवार के मुखिया का जनआधार कार्ड संख्या 5000357700

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

01 श्री हेमेन्द्र कश्यप पुत्र/पुत्री श्री मोहन लाल कश्यप , माता का नाम - श्रीमती सामंती देवी, राजस्थान राज्य के जिला करौली पता- धनीराम सरपंच का पूरा करौली के/की निवासी हैं तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते हैं।

02 उक्त श्री हेमेन्द्र कश्यप राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11(164) आर.एण्ड पी./एस.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 16 कहार वर्ग/जाति के/की सदस्य हैं।

03 उक्त श्री हेमेन्द्र कश्यप आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं. प.7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नही हैं।

नोट :

1 : राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू /ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।

2 : उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है । दस्तावेजात की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।

3 : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

4.: यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित हैं । अतः सभी कार्यो के लिये मान्य है।

5 : प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है| टोकन संख्या : 250712670290

*राज्य के पिछड़े वर्ग के लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों तथा राज्य की शैक्षिक संस्थानों में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ |

उपखण्ड अधिकारी,करौली,(करौली)

Signature valid

Digitally signed by PREM RAJ MEENA
Date: 2025.07.29 17:45:27 +05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan

EMJPPL 02892196

e-Mitra ❖ ई-मित्र ❖ राजस्थान सरकार